INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

HPSC – HCS

HARYANA PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 2

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"HPSC-HCS (Haryana Public Service Commission – Haryana Civil Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** *को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को* **हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)** *द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा* **"HPSC-HCS"** *भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें* **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/wdvcfu

Online Order करें - https://bit.ly/40yVhHP

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

	भारतीय संविधान	
क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	भारतीय संविधान का निर्माण एवं परिचय शासन के तीनों अंगों में संबंध • भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख • अमेरिका की संवैधानिक योजना • स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • संविधान सभा • संविधान की विशेषताएँ • भारतीय संविधान के स्त्रोत	1
2.	संविधान संशोधन • संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • मूल ढांचा	18
3.	संविधान की प्रस्तावना	27
4.	नागरिकता	35
5.	नागरिकों के मौलिक अधिकार • मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ • मौलिक अधिकारों की आलोचना • मौलिक अधिकार • शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)B) • संगम या संघ बनाने का अधिकार • भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रताः • मूल अधिकारों के महत्व	36
6.	भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व • पंचायत व्यवस्था से सम्बंधित प्रावधान • नागरिकों के मूल कर्तव्य	48

	• मूल कर्तव्यों की विशेषताएं • मूल कर्तव्य हेतु नवीन संदर्भ	
7.	भारत में 'राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) • कार्यपालिका का प्रमुख • परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति	61
8.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	84
9.	संसद प्रणाली • संघीय विधानमंडल (संसद) • लोकसभा • राज्यसभा • संसदीय समितियाँ • बजट वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद-112) भूमिका	90
10.	केन्द्र- राज्य संबंध • विधायी संबंध	104
11.	न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन	107
12.	भारतीय निर्वाचन आयोग	120
13.	स्वतंत्र महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक	126
14.	राष्ट्रीय नीति आयोग	128
15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	131
16.	संवैधानिक संघ लोक सेवा आयोग • संघ लोक सेवा आयोग की संरचना • संघ लोक सेवा आयोग के कार्य	136
17.	लोकपाल	138
18.	केंद्रीय सूचना आयोग • केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना • केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य	141
19.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • आयोग का गठन • आयोग की कार्य प्रणाली	145

20.	राज्य और राजनीतिक व्यवस्था • राज्य की परिभाषा • राज्य के तत्व	147
21.	राज्यपाल • राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां	148
22.	मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्रिपरिषद्	152
23.	राज्य विधान मण्डल • राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा • विधान परिषद एवं सदस्यों का कार्यकाल • विधानसभा की शक्तियाँ • विधान परिषद की शक्तियाँ	155
24.	उच्च न्यायालय	160
25.	जिला प्रशासनिक तंत्र	165
26.	राज्य लोक सेवा आयोग • हरियाणा लोक सेवा आयोग	170
27.	राज्य मानवाधिकार आयोग • हरियाणा मानवाधिकार आयोग • आयोग का कार्य	172
28.	लोकायुक्त • लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार	173
29.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	175
30.	राजनीतिक दल	183
31.	राष्ट्र का एकीकरण	188
32.	सम्पूर्ण अनुच्छेद	199

भारतीय संविधान

अध्याय – I

भारतीय संविधान का निर्माण एवं परिचय

❖ **राजव्यवस्था का परिचय**

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

- राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

राज्य के तत्व :-

1. भू-भाग 2. जनसंख्या 3. सरकार 4. संप्रभुता

(1). भू-भाग :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।

(2). जनसंख्या :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,**जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

(3). सरकार :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।**

(4). संप्रभुता या प्रभुसत्ता :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

शासन के अंग

(1) विधायिका (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)

(2)कार्यपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)

(3) न्यायपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

- किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -
- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।
- कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है। यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।
- **अमेरिका** जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं।** इसे "**शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत**" कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं।
- जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी

ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें ।

शासन प्रणालियों के विभिन्न

प्रकार -1

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है । शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं ।

प्रकार -2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है । दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:-

(1) केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-

(a) परिसंघात्मक प्रणाली

(b) संघात्मक प्रणाली

(c) एकात्मक प्रणाली

(2) विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-

(a) संसदीय प्रणाली

(b) अध्यक्षीय प्रणाली

भारत की प्रणाली :-

भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी।

1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए,किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे-धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है

भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं ।
- विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग हैं ।
- शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुट तंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली है ।
- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार है।
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कहा जाता है।**
- संघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है । संघात्मक से तात्पर्य है राज्यों का केन्द्र से अधिक शक्तिशाली होना।
- **एकात्मक प्रणाली** को **'विनाशी राज्यों** का **अविनाशी संगठन'** कहा जाता है ।
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है ।
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष/ राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रूप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता ।

❖ **भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना :-**

ब्रिटिश संवैधानिक योजना :-

- ब्रिटिश शासन प्रणाली **"संवैधानिक राजतंत्र"** पर आधारित है । 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था, किंतु 1688 ई. में हुई गौरवमयी क्रांति ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी । इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्ति है,जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं ।
- ब्रिटेन का **लोकतंत्र संसदीय प्रणाली** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि **कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता** है । चूँकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था इसलिए **संसदीय प्रणाली** को **वेस्टमिंस्टर प्रणाली** भी कहा जाता है । ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का वह स्थान है,जहां ब्रिटिश संसद भवन स्थित है ।
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया है,जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके ।
- ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना है । क्योंकि संविधान

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया ।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया ।
- **इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु को समाप्ति की घोषणा की ।**
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।

अंतरिम सरकार

जवाहर लाल नेहरू	-	स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
सरदार वल्लभभाई पटेल	-	गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	-	खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई	-	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम	-	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	-	रक्षा
सी. एच. भाभा	-	कार्य, खान एवं ऊर्जा
लियाकत अली खां	-	वित्त
अब्दुर रब निश्तार	-	डाक एवं वायु
आसफ अली	-	रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी	-	शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंदरीगर	-	वाणिज्य
गजनफर अली खान	-	स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल	-	विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू	प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलों
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	विधि
जगजीवन राम	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	वाणिज्य
रफी अहमद किटवई	संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा** । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।
- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था । यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) ।

- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था ।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था ।

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी ।

उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए । इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली । देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी । महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे।

निर्वाचन पद्धति :- एकल संक्रमणीय वयस्क मताधिकार पद्धति

कुल सदस्य

ब्रिटिश भारत (296 निर्वाचित)
- 292 प्रांतों से
- उच्च आयोगीय प्रांत (4 सीट)
  - दिल्ली
  - अजमेर मेरवाड़ा
  - कुर्ग
  - बलुचिस्तान

देशी रियासत (93 सीट) (मनोनीत सदस्य)
- जयपुर - 3 सदस्य
- जोधपुर - 2 सदस्य
- उदयपुर - 2 सदस्य
- बीकानेर - 1 सदस्य
- कोटा - 1 सदस्य
- अलवर - 1 सदस्य

उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई । मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई । सभा के सबसे **वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को सभा का **अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया । 2 दिन** पश्चात **11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को** सभा का **स्थाई अध्यक्ष बनाया** गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया । संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए ।
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा ।
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे । यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया ।

संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था।

संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

Note :- संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी इनमें से एक था - स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था, देश के लिए आम कानून लागू बनाना । इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।

जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर तथा जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद' करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा

अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

उपाध्यक्ष - डॉ.एच.सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधन सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।**
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारुप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	पं. जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	पं जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारुप समिति	डॉ.बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यको एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रो के लिए सलाहकार समिति	सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	जवाहरलाल नेहरु
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारुप समिति

अंबेडकर (अध्यक्ष)

एन गोपालस्वामी आयंगार

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

डॉ. के.एम मुंशी

सैय्यद मोहमद सादुल्ला

एन. माधव राव (बी. एल. मित्रा की जगह)

टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

प्रारुप समिति का गठन - 29 अगस्त 1947 नए संविधान का प्रारुप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

डॉ. B. R. अम्बेडर मे 'द कॉन्सटिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारुप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, और इस अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए।

संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं की संविधान सौंपा ।

नए विधि मंत्री डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारुप को रखा।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर को 'संविधान के पिता 'के रूप में पहचाना जाता है, इस महान लेखक संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को "आधुनिक मनु की संज्ञा' भी दी जाती है।

- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारुप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- **26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।**

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू = (163)
2. मुस्लिम = (80)
3. अनुसूचित जाति = (31)
4. भारतीय ईसाई = (6)
5. पिछड़ी जनजातियां = (6)
6. सिख = (4)
7. एंग्लो इंडियन = (3)
8. पारसी = (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास = (49)
बॉम्बे (मुंबई) = (21)
पश्चिम बंगाल = (19)
संयुक्त प्रांत = (55)
पूर्वी पंजाब = (12)
बिहार = (36)
मध्य प्रांत एवं बेरार = (17)
असम = (8)
उड़ीसा = (9)
दिल्ली = (1)

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से निक्षेपण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है?

A. भारत शासन अधिनियम, 1919

B. भारत परिषद् अधिनियम, 1909

C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

D. भारत शासन अधिनियम, 1935

उत्तर - A

2. योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था ?

A. ली आयोग

B. मैकाले समिति

C. इसलिंगटन

D. मैक्सवेल समिति

उत्तर - B

3. निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं?

A. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 :निर्वाचन का सिद्धांत

B. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 : उत्तरदायी सरकार

C. भारत शासन अधिनियम, 1919 : प्रांतीय स्वायत्तता

D. भारत शासन अधिनियम, 1935 : राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका

उत्तर - A

4. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी?

A. संघीय व्यवस्थापिका

B. प्रांतीय व्यवस्थापिका

C. गवर्नर जनरल

D. प्रांतीय गवर्नर

उत्तर – C

5. निम्न में से किस अधिनियम के प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी ?

A. भारत शासन अधिनियम, 1919

B. भारत शासन अधिनियम, 1935

C. भारत परिषद् अधिनियम,1909

D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर – A

6. भारत शासन अधिनियम, 1919 मुख्यतया: किस पर आधारित था?

A. मार्ले-मिंटो सुधार

B. मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार

C. रैमजे मैक्डोनाल्ड अवार्ड

D. नेहरू रिपोर्ट

उत्तर - B

7. भारत शासन अधिनियम, 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं?

1. भारत में परिषदों का उन्मूलन

2. केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका

3. राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन

4. संघीय न्यायालय की स्थापना

A. 2 एवं 3 B. 1, 2, एवं 3

B. 1, 3 एवं D. 1,2, 3, 4

उत्तर - D

8. निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी?

A. विनियमितीकरण अधिनियम, 1773

B. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784

C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861

D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर – A

(iii) यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।

(iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।

(v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

एकल नागरिकता

- **भारत में एकल नागरिकता है।**
- भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- **लगातार 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।**
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय संसद है।

अध्याय – 5

नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के **भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से संबंधित** प्रावधान है।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को **U.S.A से** अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं ।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।

(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती हैं ।

(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।

(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।

(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती हैं और इसको बढ़ावा मिलता है।

(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।

(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।

(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

संविधान के भाग -3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित ' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

- मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं,

ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं : संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न की व्यक्तियों की।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है।

(3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये है। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक है।

(5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते है और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नही कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढ़ाचे में परिवर्तन कर सके। (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

राज्य की परिभाषा :-

- मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य ' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह अनु. 12 में भाग - 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है :-

  (अ) कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत सरकार ।

  (ब) राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य सरकार ।

  (स) सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।

  (द) अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर - संवैधानिक प्राधिकरण जैसे - एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आदि।

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है

कूट -

a. केवल A सही है।

b. केवल B सही है।

c. (A) एवं (B) दोनों सत्य है।

d. (A) एवं (B) दोनों गलत है।

उत्तर – c

मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ :-

अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु.32) और उच्च न्यायलयों (अनु. 226) को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर - संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं ।

अनु. 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है :-

(अ) स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।

(ब) अस्थायी विधियाँ, जैसे -राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश ।

(स) प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे - अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना आदि।

मौलिक अधिकारों की आलोचना –

(1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।

(2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर है।

(3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।

(4) **आपातकाल के समय इनका निलंबन हो जाता है।**

Note- अनुच्छेद -21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ।

(5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं ।

(6) संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमे कमी कर सकती है।

(7) मौलिक अधिकारों के संबंध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा हैं तथा प्रकिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	अनु. 13
(i) संघ सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल (iii)स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी (iv) सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाए जो राज्य के लिए कार्य करती हो	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी । **विधि** (i) स्थाई विधि – संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित (ii) अस्थाई विधि – जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें । (iii)कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि (iv)ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो

प्रश्न. निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?

a. देश के किसी भाग में बसने का अधिकार

b. लिंग समानता का अधिकार

c. सूचना का अधिकार

d. शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर – c

(1) समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)

i. विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान हैं। **विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से** प्रभावित हैं । विधी के समक्ष समता से आशय हैं, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नही होगा।

विधी के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताए होती हैं –

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गेर सरकारी संगठन) विधी से ऊपर नही होगा ।

(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।

(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेंगा।

विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद है।

(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नही चलाया जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के संबंध में न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा ।

(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता हैं तो उसे दोषी नही माना जायेगा ।

(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायलय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे- UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे ।

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देंन हैं ।

विधियों के सामान संरक्षण से आशय हैं। "समान के साथ सामान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नही होता ।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओ के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण हैं ।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- अनु. 15 में यह प्रावधान हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयो, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नही किया जायेगा ।

- लेकिन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष स्वतंत्रता नही हैं। इस पर आवश्यकता के अनुसार युक्ति युक्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

जैसे-

(i) भारत की एकता एक संप्रभूता ।

(ii) राजा की सुरक्षा।

(iii) विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत् संबंध ।

(iv) समाचार से संबंधित नियम।

(v) लोक व्यवस्था।

(vi) न्यायालय की अवमानना ।

(vii) किसी अपराध के लिए उकसाना।

<u>शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)B)</u>:-

- किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतीपूर्ण तरीके से संगठित होने व सम्मेलन करने का अधिकार हैं।
- इसके तहत नागरिक सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं और बैठको में भाग ले सकते हैं।
- लेकिन किसी निजी स्थल पर सम्मेलन का अधिकार नहीं हैं।

लेकिन निम्न आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं।

(i) भारत की एकता व अखंडता।

(ii) लोक व्यवस्था।

- आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत दंडाधिकारी लोगो को इकट्ठा होने से रोक सकता हैं। और पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं।

<u>संगम या संघ बनाने का अधिकार</u> –

नागरिको को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार का संघ अथवा सहकारी समिती बना सकता हैं।

इसमें राजनीतिक दल, कम्पनी, साझा क्लब, व्यापार संगठन आदि का निर्माण कर सकते हैं। और अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं ।

लेकिन संघ बनाने के इस अधिकार पर भी निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं –

(a) भारत की एकता व सम्प्रभुता ।

(b) लोक व्यवस्था ।

(c) सदाचार अथवा नैतिकता ।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार के अधीन कार्यरत श्रम संगठनों को हड़ताल करने एवं कार्य रोकने का अधिकार नही है। सरकार चाहे तो ऐसे मामलों को औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित कर सकती हैं। और कर्मचारी की सेवा भी समाप्त कर सकता है।

<u>भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)d)</u> :-

- इसके तहत नागरिक को अधिकार हैं कि वह भारत के किसी भी भू-भाग में अर्थात् एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम सकता है। अथवा संचरण कर सकता हैं ।
- ***यह अधिकार व्यावहारिक रूप में राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढावा देता हैं ।***
- एक राज्य के निवासी को दुसरे राज्य में संचरण करने का अधिकार देने से नागरिकों के अन्दर भारतीयता की भावना उत्पन्न होती हैं ।

इस अधिकार पर निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं –

(i) अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों को संरक्षण

(ii) लोक व्यवस्था - इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर वैश्यावृति में लिप्त, व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं।

- इसी के संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय हैं कि स्वास्थ्य के आधार पर एड्स से पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर रोक लगाई जा सकती हैं।

<u>भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रता</u>:

देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में स्थाई अथवा अस्थाई रुप से बस सकता हैं ।

वह मौलिक अधिकार देश के किसी भी क्षेत्र में बसने से सम्बंधित अवरोधों को समाप्त करता हैं लेकिन किसी विशेष समुदाय अथवा जनजातियो के संरक्षण अथवा कला संस्कृति के संरक्षण के आधार पर इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ।

पेशेवर अपराधी एवं वैश्यावृति के मामलों में भी इस पर रोक लगाई जा सकती हैं।

<u>किसी भी प्रकार के व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनु.19(1)G)</u> –

सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छा एवं योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपना सकते हैं। लेकिन निम्नलिखित मामलो में इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं।

(i) ऐसा व्यवसाय करना जो गैर क़ानूनी हो अथवा विधी के द्वारा अस्वीकृत हो ।

(ii) समुचित सरकार को यह अधिकार है कि किसी व्यवसाय विशेष के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जा सकता हैं।

(iii) किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को सरकार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित कर स्वंय के लिए आरक्षित रख सकती हैं।

(iv) सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी समूह अथवा उत्पादक वर्ग अथवा व्यवसायी वर्ग के अधिकारो की सुरक्षा हेतु निश्चित नियम बना सकती है।

अनु. -20 - अपराधो के संबंध में अथवा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

इसमें प्रावधान हैं कि -

(i) किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के संबंध में दोषी नही ठहराया जायेगा जब तक उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन नही किया हो ।

(ii) किसी व्यक्ति को वही दण्ड दिया जायेगा जो अपराध करते समय लागू। अर्थात् बाद में बनाई गई विधी के अनुसार व्यक्ति को दण्डित नही किया जायेगा । लेकिन ये केवल आपराधिक मामलों पर ही लागू होता हैं। सिविल मामलो के संबंध में अपराध के बाद बनाई गई विधि के अनुसार व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता।

(कर चोरी, दिवालिया होना या किसी प्रकार के दिवानी से सम्बंधित प्रावधान)

(iii) किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दण्डित किया जायेगा।

(iv) किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति की स्वयं के विरुद्ध साझी होने गवाही देने के लिए बाध्य नही किया जाएगा।

अनु. 21 :- इसमे प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके **प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से विधी के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।**

सर्वोच्च न्यायालय में अनु. 21 को समय-समय पर अधिक से अधिक प्रसारित किया। वर्तमान समय में इसमें निम्मलिखित अधिकार शामिल हो चुके है -

i. निजता का अधिकार।

ii. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।

iii. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।

iv. दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार का अधिकार।

v. नि: शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार ।

vi. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार ।

vii. सूचना का अधिकार ।

viii. कारावास में अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार।

ix. देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार ।

x. फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार ।

xi. विदेश यात्रा का अधिकार

xii. नींद का अधिकार

शिक्षा का अधिकार :- (अनु.21-A)

86 वे संविधान संशोधन अधि. - 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि **राज्य 6-14 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।**

इसके संबंध राज्य विधी बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा । इसी **प्रावधान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया** गया, जिसे । **अप्रैल 2010 को लागू किया गया।**

व्यवहारिक रूप में 2010 से पहले इस मौलिक अधिकार की प्रकृति नीति निदेशक तत्वों के समान ही थी

अनु. 22 :- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण :-

इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं -

(i) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा ।

(ii) गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार हैं कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता है।

(iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटो में यात्रा का समय शामिल नही होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाती है तो उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह तक मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि को केवल तब ही बढ़ाया जा सकता है । जब उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का बोर्ड यह प्रमाणित करे कि अवधि बढाई जाने की आवश्यकता हैं ।

(iv) **अनु.22 से सम्बंधित अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त नही होते ।**

(3) मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध (अनु. 23)

- मानव दुर्व्यव्यापार से आशय है कि महिला पुरुष बच्चो की वस्तुओं के समान खरीद अथवा बिक्री करना।
- इसमें देह व्यापार के लिए क्रय विक्रय अथवा शरीर के अंगो के क्रय विक्रय आदि को भी शामिल किया जाता हैं।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बलात श्रम नही करवाया जा सकता । बलात श्रम से आशय हैं, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना।
- लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है । लेकिन वह कार्य करने से इंकार करता है तो उससे कार्य करवाना बलात श्रम नही माना जायेगा ।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी एवं बेगार नही करवाई जा सकती।

अध्याय – 8

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

- संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की जबकि **प्रधानमंत्री वास्तविक राजप्रमुख की भूमिका में होता हैं।** इसका तात्पर्य यह है कि **राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता हैं। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद् और अंतर्राज्यीय परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता हैं।** परम्परागत रूप से, कुछ विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती हैं।
- सामान्यतया प्रधानमंत्री निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी लेता हैं:
- मंत्रिमंड़ल की नियुक्ति समिति
- कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
- अंतरिक्ष विभाग आदि।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

- संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई हैं। **अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इस बात का प्रावधान किया गया हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।** हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार **राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।**
  - लेकिन, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता हैं।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता हैं:

1. मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश् की जाती हैं, राष्ट्रपति (सिर्फ) उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं।
- प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित करता हैं और उनमें बदलाव भी कर सकता हैं।
- यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता हैं तो वह उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता हैं या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता हैं।
- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता हैं और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से प्रभावित भी करता हैं।
- वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता हैं और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता हैं।
- **प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर सकता हैं।**

2. राष्ट्रपति के संबंध में

- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता हैं। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावाना से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करता हैं।
- वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता हैं। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता हैं।
- **प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देता हैं।**

3. संसद के संबंध में-

- प्रधानमंत्री निचले सदन लोकसभा का नेता होता हैं। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने की सलाह देता हैं।
- वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता हैं।
- वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता हैं।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता हैं।
- वह देश की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।
- वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता हैं।
- वह आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता हैं।

- राष्ट्र के नेता के रूप में वह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगो से मिलता हैऔर उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ता में स्थापित दल का नेता होता है ।
- वह प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री का राज्यसभा का सदस्य होना

- संविधान प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य होने से निषेध नहीं करता है। हालाँकि, संसदीय लोकतंत्र की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा, जो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुनी जाती है, की सदस्यता प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट परपंराओं का निर्वहन करना चाहिए ।
- ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सदय अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यहाँ यह तर्क भी दिया जाता है कि संघ के प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में होना चाहिए ।
- उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सभा का सदस्य न हो। ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे- श्रीमती इंदिरा गाँधी, पी.वी. नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, डॉ. मनमोहन सिंह आदि नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे ।

सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली

- सरकार के प्रधानमंत्री प्रणाली के स्वरूप में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में अधिक प्रभावी रहता है। आमतौर पर यह मामला तब नजर आता है जब सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो और प्रधानमंत्री उस दल का निर्विवाद नेता हो । ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री के फैसले को आमतौर पर मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है । इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं होते इस प्रणाली के लाभ-हानि निम्नलिखित हैं:

लाभ	हानि
समय पर निर्णय।	निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं ।
सरकार मजबूती से निर्णय लेती है।	विवेचना के बाद भी प्रायः निर्णय नहीं लिए जाते ।
प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं ।	अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव

- सामान्यतः यह देखा जाता है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के अधिकार कम हो जाते हैं । इसका कारण एक खंड़ित जनादेश की स्थिति में गठबंधन सरकार का गठन है । कई बार, घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री के बजाय, अपन दल के नेता को प्रधानमंत्री मानने लगते हैं। हालाँकि, यह प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं गठबंधन की राजनीति की प्रकृति के साथ बदलती रहती है तथा यह मनोवृत्ति उस शैली पर भी महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है।, जिसके द्वारा गठबंधन का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रधानमंत्री की भूमिका, बहुमत दल के एक नेता के बजाय, गठबंधन सरकार के प्रबंधक जैसी हो जाती है ।

1. **प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन** :-कई प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है। इसमें से प्रमुख इस प्रकार है –

लॉर्ड मॉर्ले :- उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन 'समान के बीच प्रथम' तथा 'कैबिनेट **रूपी चाप** के मुख्य प्रस्तर' के रूप में किया है वे कहते हैं, " कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है, जो काफी दायित्वपूर्ण होता है, वह देश का सबसे प्रमुख प्रदेश प्राधिकारी होता है।

हर्बर्ट मॉरिसन :- 'सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख है लेकिन आज उसके दायित्वों में काफी परिवर्तन आया है।

सर विलियम वर्नर हरकोर्ट :- उन्होंने प्रधानमंत्री को 'तारों के बीच चंद्रमा ' की संज्ञा दी है।

जेनिंग्स - "वह सूर्य के समान है जिनके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं।" वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है, संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं।

रैम्जे म्योर - ने इसे "राज्य के जहाज का मल्लाह" कहा है।

ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती हैकि देखने वाले इसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं, इस प्रकार आर. एच. क्रासमैन कहते हैं ' "युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो गई है।" इसी प्रकार बर्कले कहते हैं" संसद प्रयोगिक रूप से संप्रभु नहीं है। संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है, ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनी**स्ट्रीयल** शक्ति है। " यहीं व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है।

- **केंद्रीय मंत्रिपरिषद्**

अनुच्छेद 74 और 75, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रावधानों से संबंधित हैं । ये विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं:

मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल

- राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता हैं । किन्तु, मंत्रिपरिषद् द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा ।
- **मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती हैं ।**
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा । प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता हैं एवं सामान्यतः राष्ट्रपति इसका समर्थन करता हैं । एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के समय यह आवश्यक नहीं हैं कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हों । संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक मंत्री बना रह सकता हैं । इस प्रकार, कोई व्यक्ति जब संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद प्राप्त करता हैं तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती हैं ।
- **प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी** । इस उपबंध का समावेश 91 वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया हैं।
- संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, यदि दलबदल के आधार पर संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाता हैं, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद हेतु भी अयोग्य होगा । इस प्रावधान को भी, 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया हैं ।
- **मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।**
- **मंत्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।**
- राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी ।
- मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा जब तक संसद भत्ते का निर्धारण नहीं करती, तब तक वे भत्ते उसी प्रकार निर्धारित होंगे जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।
- एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार हैं । परंतु, वह उस सदन में मत नहीं दे सकता हैं जिसका वह सदस्य नहीं हैं ।

मंत्रिपरिषद् की संरचना

मंत्रिपरिषद् में सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं:

- ***<u>कैबिनेट मंत्री</u>***:- कैबिनेट मंत्री वे हैं जिनके पास केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालय जैसेरक्षा, गृह, वित्त, विदेश आदि मंत्रालय होते हैं। वे पद, वेतन और शक्तियों में सर्वोच्च होते हैं । इन्ही मंत्रियों से मंत्रिमंड़ल का गठन होता हैं । इन्हें धुरी (मंत्रिपरिषद्) के भीतर एक धुरी के रूप में वर्णित किया गया हैं । उनकी संख्या समय-समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन शायद ही भी बीस से अधिक होती हैं। कैबिनेट मंत्री सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों के निर्माण और मंत्रिमंड़ल की सभी बैठकों में भाग लेने के हकदार हैं । कभी, कभी, वरिष्ठ नेताआं को बिना किसी पोर्टफोलियों के मंत्री के रूप में मंत्रिमंड़ल में शामिल किया जाता हैं ।
- ***<u>राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)</u>***:- यह एक राज्य मंत्री हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता हैं । इन्हें मंत्रालय/विभागों के स्वतंत्र प्रभार सौंपे जाते हैं। जब उसके विभाग से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंड़ल की कार्यसूची में होता है। तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता हैं ।
- ***<u>राज्य मंत्री</u>***:- इस मंत्री के पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता हैं । जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है, वही उसे कार्य आवंटित करता हैं ।
- ***<u>उपमंत्री</u>***:- ऐसा मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता हैं । जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता हैं वही उसे कार्य आवंटित करता हैं ।

<u>मंत्रिपरिषद् के कार्य</u>

- मंत्रिपरिषद् मुख्य रूप से राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देता हैं । मंत्रिपरिषद् वास्तव में केन्द्र सरकार से जुड़े मामलों के प्रशासनिक कर्तव्य से आबद्ध हैं। pwWafd मंत्रालय भारत सरकार का सर्वोच्च अंग हैं, अतः यह देश के प्रशासन से संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण करता हैं । इस पर आंतरिक और विदेश नीतियों के निर्माण का उत्तरदायित्व होता हैं । देश की शांति ओर समृद्धि काफी हद तक मंत्रालय द्वारा निर्मित नीति पर निर्भर करती हैं । मंत्री न केवल अपने कार्यकारी विभागों के प्रमुख होते हैं, बल्कि ये विधायिका में बहुमत दल के महत्त्वपूर्ण सदस्य होते हैं या उन्हे विधायिका में कम से कम बहुमत का समर्थन प्राप्त होता हैं ।
- मंत्रालय, राज्य की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। मुद्रा, बैंकिंग,

अध्याय – 21

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।**
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 'कनाडा' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है – (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश –

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

पूंछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूंछी

सिफारिश –

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए ।

राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूंछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।

अनुच्छेद 156 इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है।

अर्थात राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।

- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है ।**

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ / अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानामंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है **(7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा)** तो भी उसे वेतना पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा** दिलाई जाती है **राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।**

NOTE- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता हैं।

अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां –

1. **कार्यपालिका संबंधी कार्य –**

- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें **पद एवं गोपनीयता** की शपथ दिलाता है।
- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हता ओंके होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- अनुच्छेद 217 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है
- अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करें।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 ZA-नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

2. **विधायी शक्तियां –**

- **अनुच्छेद 168** के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद् तीनों शामिल होते है अतः राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है।
- **अनुच्छेद 171** के तहत जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पर उच्च सदन (विधानपरिषद) में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाजसेवा क्षेत्र के सामान्य जानकार या विशेषज्ञ हो।
- **अनुच्छेद 174** के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 176** के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित / अभिभाषण कर सकता है। (विधानसभा के चुनाव पश्चात पहली बैठक

अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।	यदि कार्यकाल के दौरान किसी पदस्थ मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो अपने विवेक से अन्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।
अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।	मंत्रिपरिषद भंग करने के संबंध में(विशेष परिस्थितियों में)
अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से सूचना लेने के संबंध में ।	
राज्य विधानसभा को भंग करने में	

6. **आपातकालीन शक्तियाँ**

- राज्यपाल को किसी भी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
- जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर (अनुच्छेद 356) यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू कर दें।
- **NOTE-एम.पी. शर्मा-** " राज्यपाल को संकटकालीन शक्तियों से रहित राष्ट्रपति कहा है"।
- **NOTE-सरोजिनी नायडु-** "राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है"।
- **NOTE-दुर्गादास बसु-** " थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है , सिर्फ कुटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर"।

7. **विशेष दायित्व**

- **अनुच्छेद 371** के तहत महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निर्धारित किए गए हैं महाराष्ट्र राज्यपाल विदर्भ व मराठवाडा तथा गुजरात का राज्यपाल कच्छ व सौराष्ट्र के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन कर सकते हैं।
- **अनुच्छेद 371(A)** के तहत नागालैंड में, **अनुच्छेद 371(F)** के तहत सिक्किम में, **अनुच्छेद 371(H)** के तहत अरुणाचल प्रदेश में **अनुच्छेद 371(J)** के तहत कर्नाटक में कानून व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपाल के विशेष दायित्व है।

अनुच्छेद- 361 राज्यपाल / राष्ट्रपति/ राजप्रमुख के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां –

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जासकती।
- जब वह अपने पद पर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है-
  (i) उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। (ii) सुचना में पक्षकारको अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति इत्यादि का विवरण देना होता है।

अभ्यास प्रश्न

1. **राज्य के राज्यपाल को**

i. राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिकशक्तियाँप्राप्तहोतीहैं।

ii. उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है ।

iii. उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है ।

iv. विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बँटवारें का अधिकार प्राप्त होता है ।

उपर्युक्त में से सही कथन है-

A. i और ii B. ii, iii और iv

C. i और iv D. i, iii और iv **उत्तर (C)**

2. **कथन (A) राज्यों में मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है ।**

कारण (R)- भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कोई कार्य 'अपने विवेक में' करने की शक्ति नहीं देता; यह राज्यपाल को कुछ कार्य ' अपने विवेक में ' करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

कूट :-

(A)A और **R** दोनों सही है, और **R**, **A** का सही स्पष्टीकरण है

(B)A और **R** दोनों सही है, परन्तु **R**, **A** का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(C) A गलत है, परन्तु **R** सही है

(D)A सही है, परन्तु **R** गलत है **उत्तर (C)**

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - https://wa.link/wdvcfu 1 web.- https://bit.ly/40yVhHP

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO FREE SAMPLE

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO FREE SAMPLE